उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या: 32/2021/687/23-3-2021-29 ई0एस0/2015

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 86/2018/248/23-3-18-29ईएस/15, दिनांक 17.05.2018 द्वारा श्री उमा शंकर, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को उनसे कनिष्ठ श्री अशोक कुमार की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 01.06.2016 से वेतन बैण्ड-4 वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रू0-8,700/- में नोशनल पदोन्नति रिट याचिका सं0-8086(एमबी)/2015 मे0 हिन्द कन्स्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन प्रदान की गई थी। उक्त आदेश प्रभावी होने की तिथि के पूर्व ही श्री उमा शंकर दिनांक 30.04.2016 को सेवानिवृत्त हो गये थे। श्री उमा शंकर से कनिष्ठ श्री अशोक कुमार को दिनांक 29.02.2016 से स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उक्त तिथि से नोशनल पदोन्नति दिये जाने हेतु मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या-2004/2018 योजित की गई। उक्त निर्देश याचिका में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 15.10.2020 को आदेश पारित किये गये, जिनका कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"Four weeks and no more time is provided to the respondents to rectify the mistake in the order of promotion.

List on 04-12-2020."

2- मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर-1(7) में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है :-

"जब सम्बन्धित कार्मिक निलम्बित न हो और उसके विरूद्ध चल रही अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण या यथास्थिति अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों के अन्तिम परिणाम सामने आ जायं अर्थात उसके विरूद्ध कोई ऐसा मामला न हो जो ऊपर खण्ड (2) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) की श्रेणी में आता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए मुहर बन्द लिफाफे का निस्तारण किया जायेगा :-

(क) आरोपित कार्मिक, जिसके विषय में चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी है, को यदि पूर्ण रूप से दोष मुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी (या यथास्थिति चयन कराने वाले विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव जिनकी अभिरक्षा में चयन समिति का कार्यवृत्त रखा जाता है) द्वारा लिफाफे को खोला जायेगा और तदोपरान्त इसमें रखी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामले में यदि लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार उसे प्रोन्नति हेतु संस्तुति किया गया हो तो उसे संदर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नत माना जायेगा और तदनुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.05.1997 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.05.2018 द्वारा श्री उमा शंकर को उनसे कनिष्ठ श्री अशोक कुमार की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 01.06.2016 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गई थी,

क्रमशः 2

परन्तु उक्त तिथि के पूर्व ही श्री उमा शंकर अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.04.2016 को सेवानिवृत्त हो गये थे। श्री उमा शंकर के सेवा काल में इनसे कनिष्ठ किसी अधिकारी की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं हुई थी। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में कार्यालय ज्ञाप संख्या-86/2018/248/23-3-18-29ईएस/15, दिनांक 17.05.2018 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

जे0 बी0 सिंह,
सचिव।

संख्या:32/2021/687(I)/23-3-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सडक)/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रभारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्थिति से मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए निर्देश याचिका की प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
8. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से सम्पर्क कर प्रश्नगत वाद की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
9. संबंधित अधिकारी।
10. कार्मिक अनुभाग-1
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीरजा सक्सेना)
उप सचिव।